**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड**
**शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ**

संख्या : 967–कार्य/चौदह–पाकालि/2010–3–के/2000 दिनांकः अगस्त , 13 ,2010

## कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–804–कार्य–14/पाकालि/2010–3–के/2000 दिनांक 08.07.2010 एवं शुद्धि पत्र संख्या–820–कार्य–14/पाकालि/2010–3–के/2000 दिनांक 16.07.2010 को अवक्रमित करते हुए एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–295–कार्य–14/पाकालि/ 2003–3–के/2000 दिनांक 27.02. 2003 के प्रस्तर 3 के बिन्दु 3 व 4 में आंशिक संशोधन करते हुए जानपद (वितरण/पारेषण) स्कन्ध के अधिकारियों को कार्यो के निष्पादन हेतु वित्तीय अधिकार निम्नवत् प्रदान किये जाते हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

1. उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 3 के बिन्दु (3 व 4) के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता जानपद (वितरण/पारेषण) को कार्यो के निष्पादन हेतु रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) से अधिक क्रमशः रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) एवं रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख) तक की सीमा तक के कार्य कराने हेतु अधिकृत किया गया है। इस अधिकार को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

1.1 प्रत्येक मामले में रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) मोहरबन्द कोटेशन द्वारा तथा दस हजार से अधिक प्रत्येक मामलें में अधिकतम् एक लाख कार्य तक की सीमा के कार्य अधिशासी अभियन्ता जानपद (वितरण/पारेषण) स्तर पर निम्नवत् गठित कार्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।

1.2 अधिशासी अभियन्ता जानपद (वितरण/पारेषण) स्तर पर निम्नवत् कार्य समिति का गठन किया जाता हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अधिशासी अभियन्ता जानपद (वितरण/पारेषण) | अध्यक्ष |
| 2. | खण्ड के अन्तर्गत वरिष्टतम् वरिष्ठ सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता | सदस्य/संयोजक |
| 3. | सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–प्रथम/द्वितीय/क्षेत्रीय उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा नामित सहायक लेखाधिकारी | सदस्य |

1.3 अधिशासी अभियन्ता जानपद (वितरण/पारेषण) के बृहद कार्यक्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक माह में कार्य सम्पादन की अधिकतम् सीमा क्रमशः रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख)/ रूपया 2,00,000/– (रू0 दो लाख) से रू0 5,00,000/– (रू0 पाँच लाख) की जाती है।

2. उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 11(3) के अन्तर्गत वर्णित मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–प्रथम/द्वितीय को बजट प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात विशेष मरम्मत कार्यो के लिये प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) के स्थान पर पूर्ण अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

3. उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 12 में उल्लिखित है कि "प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग स्वयं द्वारा अनिवार्य होगा यानि सामग्री क्रय/कार्य सम्पादन हेतु समस्त प्रक्रिया तथा आदेश अधिकृत अधिकारी द्वारा किये जाने है"। इसमें संशोधन किया जाता है तथा अधिशासी अभियन्ता जानपद (वितरण/पारेषण) को उनके बृहद कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुये उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत किये जाने

वाले कार्यो हेतु निविदा आमंत्रण एवं इससे सम्बन्धित कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया जाता है, परन्तु वे सम्बन्धित सक्षम समिति से कार्य सम्पादन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यो का निष्पादन करायेंगे।

उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या–295–कार्य–14/पाकालि/2004–3–के/2000 दिनांक 27.02.2003 में वर्णित अन्य समस्त प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

**संख्याः 967(1)–कार्य–चौदह/पाकालि/2010 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
3. समस्त निदेशक, (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता पारेषण (आपरेशन/परियोजना), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. सलाहकार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/अराजपत्रित, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण/पारेषण) उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता, (जानपद) पारेषण–द्वितीय, उ0प्र0 पा0का0लि0 को उनके टिप्पणी संख्या–1244–मुअ0(जा0 पारे0)/निविदा दिनांक 07.07.2010 के सन्दर्भ में।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/वित्त, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0 ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(भारत भूषण गोयल)
उप सचिव (कार्य)